दिल्ली की गरीब बस्तियों में रहने वाली दस लाख घरेलू कामगारों की ओर से, जिनमें अधिकांश महिलायें हैं और आसाम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखण्ड और प. बंगाल की दो लाख आदिवासी लड़कियों की ओर से, जो दिल्ली में परिवारों में रहकर पूर्णकालीन घरेलू काम करती हैं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा घरेलू कामगारों के लिये बनाये गये प्रस्ताव (संख्या 189) की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री को ज्ञापन

आदरणीय श्रीमती शीला दीक्षित जी,

1. उपरोक्त अंशकालीन और पूर्णकालीन, दोनों तरह के घरेलू कामगारों की ओर से इस ज्ञापन द्वारा हम आपका ध्यान हमारे काम की वर्तमान स्थिति और समाज में हमारे काम के योगदान की ओर दिलाना चाहते हैं।
2. हमें हमारे काम की तुलना में कम मजदूरी मिलने के कारण, हममें से अधिकांश के अनपढ़ होने के कारण और हममें से अधिकांश आदिवासी और पिछड़े वर्ग की महिलायें होने के कारण समाज में अब तक हमारे काम की परिस्थितियों को ध्यान में रखत हुए हमारे लिये आवश्यक सामाजिक सुविधाओं की ओर अब तक राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार का ध्यान कम ही गया है।
3. सच होते हुए भी इस बात को कोई–कोई ही स्वीकारना चाहता है कि हमारे काम के बिना अधिकांश मध्यम वर्ग की महिलाओं के लिये, जो आज अपने परिवार की जिम्मेदारी हम पर छोड़कर अपना परिवार चलाने में सहयोग करने के साथ–साथ राष्ट्र निर्माण में भी भारी सहयोग कर रही हैं, दोनों सहयोग करना सम्भव नहीं होता। इसलिये उनके सामाजिक उत्पादन के पीछे हमारे सहयोग की भूमिका को ध्यान में रखते हुए हमारे काम की परिस्थितियों को बेहतर बनाने और हमारी सामाजिक सुरक्षा के लिये आवश्यक कानूनों को बनाने की ओर सहानुभूतिपूर्वक ध्यान देने की जरूरत है। हमें पूरा विश्वास है कि आप खुद महिला मुख्यमन्त्री होने के कारण हमारी आवश्यकताओं की ओर पूरी सहानुभूतिपूर्वक ध्यान देंगी और हमारे निवेदन को सही रूप में समझेंगी।
4. पिछले सालों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत में, दोनों ही जगह घरेलू कामगारों की ओर काफी ध्यान दिया गया है परन्तु भारत में हमारे जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने वाले ठोस कदम उठाये जाना अभी भी बाकी है।
5. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा कामगारों के लिये सम्मानजनक काम पर प्रस्ताव 189 के पारित करने के पहले से ही भारत में असंगठित क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 में घरेलू कामगारों को शामिल करने, कुछ राज्यों में घरेलू कामगारों के लिये न्यूनतम मजदूरी घोषित करने और इस वर्ष काम के स्थान पर यौन शोषण (Prevention, prohibition & redressal) अधिनियम, 2013 में घरेलू कामगारों को शामिल करना एक अच्छी शुरुआत है। परन्तु घरेलू कामगारों के काम की विशिष्टताओं और इस काम में नियोक्ता और घरेलू कामगार के सम्बन्धों की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए यह बहुत जरूरी है कि घरेलू कामगारों के लिये एक अलग केन्द्रीय कानून बनाया जाये। इस सम्बन्ध में घरेलू कामगारों के लिये काम करने वाले लगभग सभी संगठनों ने एकत्रित होकर एक राष्ट्रीय मंच गठित किया है जिसके माध्यम से इस मांग को

लेकर देश भर के घरेलू कामगारों और उनके समर्थन में भारत की संसद के नाम एक हस्ताक्षर अभियान चल रहा है और ये याचिकाएं जुलाई–अगस्त में संसद की याचिका समितियों को दी जायेगी। **हमारा आपसे अनुरोध है कि आप दिल्ली की विधानसभा में घरेलू कामगारों के लिये एक केन्द्रीय कानून की मांग का समर्थन करने का प्रस्ताव पारित करवा कर हमारे प्रयासों को बल दें।**

6. केन्द्रीय सरकार द्वारा घरेलू कामगारों के लिये एक अलग कानून बनाने तक हमारा आपसे अनुरोध है कि दिल्ली में घरेलू कामगारों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए और दिल्ली में कार्यरत घरेलू कामगारों की प्लेसमेन्ट एजेन्सियों की बदनाम कार्यवाहियों पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए **दिल्ली की घरेलू कामगारों के लिये एक राज्य स्तरीय कानून बनायें जो बाद में राष्ट्रीय कानून का हिस्सा बन जाये** (इसी तरह 1993 में निर्माण मजदूरों के लिये केरल में एक राज्य स्तरीय कानून बनाया गया था जिसके अन्तर्गत निर्माण मजदूरों के लिये बनाया गया त्रिपक्षीय बोर्ड 1996 में निर्माण मजदूरों के राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत स्थानान्तरित हो गया।)
7. दिल्ली के राज्य स्तरीय घरेलू कामगारों के कानून के अन्तर्गत एक **त्रिपक्षीय घरेलू कामगार बोर्ड** बनाने की व्यवस्था की जाये जो **सभी नियोक्ताओं और घरेलू कामगारों का अनिवार्य पंजीकरण** करे, सभी **पूर्णकालीन घरेलू कामगारों के नियोक्ताओं से दिल्ली में घोषित दर से एक माह की न्यूनतम मजदूरी ले** (अंशकालीन घरेलू कामगारों के नियोक्ताओं से तुलनात्मक मजदूरी ले) जिसमें से सभी घरेलू कामगारों को निम्न सामाजिक सुरक्षाएं दी जा सकें :–

    1. नियमित **मासिक स्वास्थ्य की देखभाल** की जा सके।
    2. अस्वस्थ व प्रताड़ित घरेलू कामगारों के लिये **आश्रयगृह** चलाया जा सके।
    3. घरेलू कामगारों के लिये **बैंक खाते और बचत** की व्यवस्था की जा सके।
    4. घरेलू काम छोड़ना चाहने वाली कामगारों के लिये **वैकल्पिक प्रशिक्षण** और अन्य आवश्यक साधनों की व्यवस्था की जा सके।
    5. **प्लेसमेन्ट एजेन्सियों का पंजीकरण और नियमन करे।**
    6. **घरेलू काम के लिये प्रशिक्षण** घरेलू **कामगारों और नियोक्ताओं के लिये प्रशिक्षित घरेलू कामगारों की व्यवस्था** कर सके या इस कार्य के लिए **घरेलू कामगारों की सहकारी समितियां प्रोत्साहित** कर सके।
    7. **दुर्घटना** होने पर, **बीमार** होने या **गर्भवती** होने पर काम न कर सकने वाली महिला को **तुरन्त सहायता** दे सके।
    8. घरेलू कामगारों के **बच्चों को शिक्षा सहायता** दे सके।
    9. बुढ़ापे में या काम न कर सकने की स्थिति में **पेंशन** दे सके।
    10. उपरोक्त व्यवस्था में करने वाला केन्द्रीय या दिल्ली का राज्य अधिनियम स्वतः ही दिल्ली के घरेलू कामगारों में **बाल मजदूरी पर 100 प्रतिशत रोक** लगाने और दिल्ली में घरेलू कामगारों के लिये होने **वाले मानव व्यापार पर पूरी रोक लगाने** के साथ–साथ दिल्ली के सभी नागरिकों को घरेलू कामगारों की नियमित और शंकारहित सेवा सुनिश्चित करेगा।

उपरोक्त कानून दिल्ली में मात्र 80 प्रतिशत नियोक्ताओं और घरेलू कामगारों का पंजीकरण करके ही **एक हजार करोड़ रुपये वार्षिक की आय देगा** जिससे **बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ** के दिल्ली की सभी घरेलू कामगारों को और **काम के दौरान विभिन्न सामाजिक सुरक्षाएं और काम के बाद** पारिवारिक कारणों से जैसे शादी के लिये या **बुढ़ापे में अपने मूल निवास लौटने पर भी पेंशन** की व्यवस्था की जा सकती है।

घरेलू कामगारों के लिये उपरोक्त केन्द्रीय या राज्य स्तरीय कानून बनने की प्रक्रिया के पूरा होने तक हमारा आपसे अनुरोध है कि **आप अपनी सरकार की ओर से पूर्णकालीन प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आसाम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखण्ड और प. बंगाल की राज्य सरकारों के साथ 'समझौता पत्र'** (Memorandum, of Understanding-MOU) **बनाये** जैसा कि संलग्नित (MOU) झारखण्ड सरकार ने उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ की सरकारों के साथ हस्ताक्षरित किया है। **इस तरह के अनुबन्धनों में राज्य सरकारों को प्रवासी कामगारों के नियोक्ताओं से सामाजिक सुरक्षा के लिये साधन जुटाने की छूट देंगे तो यह व्यवस्था अल्पकालीन कामगारों को कुछ समय काम करने के बाद अपने राज्य में लौटने का प्रोत्साहन भी देगी।**

अंशकालीन घरेलू काम के लिये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान व अन्य राज्यों से आने वाले घरेलू कामगारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इन राज्यों के साथ भी **इसी प्रकार के अनुबन्धन करें।**

आप चाहेंगी तो **हम उपरोक्त राज्य स्तरीय अधिनियम तथा अन्तरर्राज्यीय समझौता–पत्र (MOU) का पूरा ड्राफ्ट बनाकर आपको दे सकेंगे।** पिछले महिनों में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर दिल्ली के श्रम विभाग द्वारा प्रस्तावित अधिनियम पूरी तरह एक नाकारा प्रस्ताव है जिसी विस्तृत आलोचना हम श्रम विभाग को दे चुके हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि **आप हमें हमारे इस ज्ञापन पर चर्चा करने के लिये कुछ समय अवश्य दें।**

धन्यवाद सहित, आपके

1.

2.

3.

4.

5.